



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर,

क्रमांक- प.2(3)(1252)आ.कृ/गुप-7/ 970-78


दिनांक : 25/4/19

-: कार्यालय - आदेश :-

कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.2(3)(जी-36)आ.कृ/गुप-7/3586-3615 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा राजस्थान कृषि अधिनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रवाधानों के अंतर्गत राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर की विज्ञापन संख्या-1 क्रमांक प.14(7) RSMSSB/ अर्थना/कृषि/कनि./अभि./2014-15/70-78 दिनांक 24.03.2015 के तहत राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ अभियंता (कृषि) पदों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12.07.2015 को परीक्षा आयोजित की जाकर परिणाम दिनांक 22.07.2015 में प्राप्तों के आधार पर नियमानुसार वरीयता क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन कनिष्ठ अभियंता के पद पर किया जाकर इन्हें कार्यभार संभालने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम- 2008 की अधिसूचना संख्या प.11(7)वित/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं 08.06.2015 के नियम 21 के परिशिष्ट के अंतर्गत रनिंग पे बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3600/- में नियत पारिश्रमिक (FIXED REMUNERATION) रु. 13200/-(अक्षरे तेरह हजार दौ सौ रुपये मात्र) पर दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (PROBATION-TRAINEE) के रूप में श्री कृष्ण कुमार सोनी कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति दी गई थी।

श्री कृष्ण कुमार सोनी कनिष्ठ अभियंता को 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि समाप्त होने व संतोषजनक प्रमाण-पत्र होने पर एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ.6(3)एफ.डी.(रूल्स) 2017/ 30.10.2017 के नियम-17 अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्शिक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार शैड्यूल-1 पार्ट-बी, रूल्स न0 5 (VI) and (VII) के लेवल संख्या एल-10 की सेल संख्या-1 में वेतन राशि 33800/-रूपये पर वेतन निर्धारित किया जाता है। मूल वेतन पर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे। आगामी वेतन वृद्धि राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्शिक्षित वेतन) नियम-2017 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 होगी।

क. सं.	कनिष्ठ अभियंता का नाम	मेरिट संख्या	कार्यरत कार्यालय का नाम	प्रोबेशन अवधि में प्रथम नियुक्ति उपस्थिति दिनांक	प्रोबेशनअ अवधि समाप्त होने की तिथि	वेतन स्थरीकरण		आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक
						दिनांक	पैमेट्रिक्स की लेवल संख्या एल-10 के सेल- 1 में वेतन निर्धारण	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	श्री कृष्ण कुमार सोनी	-	सहायक अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंचायत समिति सायल जिला-जालौर।	30.06.2016	29.06.2018	15.09.2018 (77दिवस की अवैतनिक अवकाश के कारण)	33800/-	01.07.2019


(सीताराम जाट)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक :

क्रमांक- प.2(3)(1252)आ.कृ/गुप-7/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू- संरक्षण, विभाग जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर।
3. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशैड सैल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद जालौर।
4. सहायक अभियन्ता जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति सायल जिला-जालौर।
5. ए.सी.पी. मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. श्री कृष्ण कुमार सोनी कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय- सहायक अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंचायत समिति सायल जिला-जालौर।
7. निजी/ आरक्षी पत्रावली।


(डॉ० सुपेन्द्र पाल सिंह संध्या)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)